रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266589
CG-DL-E-01102025-266589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
No. 639] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

सा.का.नि.723(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 के खंड (एन), धारा 64, धारा 137 के खंड (डी), धारा 210ग के खंड (सी), धारा 211क की उप-धारा (2) के खंड (ए) और खंड (बी), धारा 215ग की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 21 के उप-नियम (1) में, खंड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, -

"(25) पांच या अधिक अपराध करना या अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना, जैसा कि पहले के चालान द्वारा प्रमाणित हो।"

3. उक्त नियमों में, नियम 167 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"167. चालान जारी करने और भुगतान की प्रक्रिया

(1) वर्दीधारी कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से या किसी भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से चालान स्वतः जनरेट करने की सुविधा प्रदान कर सकती है।

(3) उप-नियम (1) या (2) के अधीन जारी किया गया चालान, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को हाथ से या किसी अन्य वास्तविक माध्यम से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन दिनों की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या (2) के तहत जारी किए गए चालानों का विवरण पोर्टल पर कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) या (2) के तहत चालान जारी किया जाता है, वह ऐसे चालान जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर या तो चालान में निर्दिष्ट राशि स्वीकार करेगा और उसका भुगतान करेगा या पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ चालान को ऐसे तरीके से और ऐसे प्राधिकारी, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, के समक्ष चुनौती देगा।

(6) जहां कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) या (2) के तहत जारी किया गया चालान उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष चालान का चुनौती नहीं देता है, तो ऐसे चालान को ऐसे चालान के जारी होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा।

(7) उप-नियम (6) के तहत स्वीकृत माने जाने वाले चालान में उल्लिखित राशि का भुगतान, उप-नियम (6) के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से अगले तीस दिनों के भीतर वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा।

(8) जहां उप-नियम (5) के अधीन चालान को चुनौती दी जाती है और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीस दिन की अवधि के भीतर उसका समाधान नहीं किया जाता है या जहां ऐसा प्राधिकारी लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से चालान को रद्द कर देता है, तो ऐसा चालान प्रभावी नहीं रहेगा।

(9) जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, उस व्यक्ति द्वारा किए गए निवेदनों को अस्वीकार कर देता है, जिसके खिलाफ चालान जारी किया गया है, तो वह व्यक्ति पोर्टल पर ऐसे आदेश के अपलोड होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त चालान में निर्दिष्ट राशि को स्वीकार कर सकता है और उसका भुगतान कर सकता है या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से चालान में निर्दिष्ट राशि का पचास प्रतिशत जमा करने के बाद न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।

(10) यदि व्यक्ति ने आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर न तो उक्त चालान का भुगतान किया है और न ही न्यायालय के समक्ष चालान को चुनौती दी है, तो चालान स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा और ऐसा स्वीकार कर लिया माना गया चालान में उल्लिखित राशि का भुगतान, वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इस उप-नियम में ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से अगले पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

(11) उप नियम (7) और (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व पंद्रहवें दिन से प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा।

(12) यदि उस व्यक्ति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जिसे उप नियम (7) और (10) के तहत चालान जारी किया जाता है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे चालानों के निपटान तक, उल्लंघनकर्ता के लाइसेंस या मोटर वाहन के पंजीकरण के संबंध में आवेदन, जैसा भी मामला हो, चालान में उल्लिखित, मोटर वाहन के कर (करों) से संबंधित आवेदनों को छोड़कर, लाइसेंस प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा संसाधित नहीं किए जाएंगे, और ऐसे वाहन को पोर्टल पर 'लेन-देन नहीं करने' के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान सहित ऐसे चालान के भुगतान होने तक स्वचालित रूप से पंजीकृत मालिक या लाइसेंस धारक, जैसा भी मामला हो, को एक सूचना भी भेजेगा।

(13) उप नियम (1) या (2) के अधीन जारी किए गए चालानों के संबंध में, न्यायालय के आदेश के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत वर्दीधारी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन में संलिप्त वाहन को रोक सकेगा।

3. उक्त नियम के नियम 167क में, -

(i) उप नियम (7), उप नियम (8), उप नियम (9) और उप नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

“(6क) ऐसे मामलों में जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या जहां डिवाइस कनेक्शन स्थापित करने में असमर्थ है, प्राधिकृत अधिकारी चालान का ब्यौरा ऑफलाइन रिपोर्ट में ऐसे प्रारूप और तरीके से दर्ज कर सकता है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और उक्त डेटा को जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(7) उप नियम (1) और (2) के अधीन चालान, वाहन के पंजीकृत स्वामी के नाम पर तीन दिन की अवधि के भीतर जारी किए जाएंगे और इसके साथ पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् एसएमएस या ई-मेल या वास्तविक रूप में उल्लंघन की सूचना दी जानी चाहिए।

(8)(क) चालान का भुगतान नियम 167 के उप नियम (5) से (11) में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किया जाएगा।

(ख) ई-चालान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है या यातायात पुलिस स्टेशनों पर या निर्दिष्ट स्थानों पर नकद या कार्ड का उपयोग करके या राज्यों द्वारा निर्दिष्ट ई-चालान प्रणाली के ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है।

(9) उल्लंघन की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में तीन दिन की अवधि के भीतर और वास्तविक रूप में उल्लंघन होने के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्रित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उस मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी उल्लंघन से संबंधित है, अपील सहित शुरू की गई कार्यवाही के समाप्त होने तक रखा जाना चाहिए।

(10) यदि वाहन का स्वामी उल्लंघन के समय वाहन नहीं चला रहा था, तो वह पोर्टल सहित, नियम 167 के उप नियम (5) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उचित प्रमाण देकर निर्दोषता का दावा कर सकता है कि वह उल्लंघन के समय चालक नहीं था, या उल्लंघन के समय कोई अन्य व्यक्ति चालक था।

[फा.सं. आरटी-25035/66/2025-आरएस]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. _____ (अ), दिनांक _____द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि. _____ (अ) दिनांक _____ द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025

G.S.R. 723(E).——The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (n) of section 27, section 64, clause (d) of section 137, clause (c) of section 210C, clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 211A, clause (b) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (…….Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 21, after the clause (24), following clause shall be inserted, —

"(25) Commission of five or more offences or contraventions of the provisions of the Act or these rules, as substantiated by the challan history."

3. In the said rules, rule 167 shall be substituted with the following, —

"167. Procedure for issuance and payment of challan

(1) Any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf shall issue a challan, either in physical or electronic form, to a person in violation of the provisions of the Act, or rules made thereunder.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case any person who violates the provisions of the Act or rules made thereunder, the State Government can enable auto-generation of challan through electronic monitoring and enforcement system or manually by any police officer or by any officer authorised by the State Government.

(3) The challan issued under sub-rule (1) or (2), shall be delivered to a person who violates the provisions of the Act, or rules made thereunder, either by hand or any other physical means within a period of fifteen days, or by electronic means of communication authorised by the Central Government, within a period of three days.

(4) Details of challans issued under sub-rule (1) or (2), shall be recorded chronologically on the portal .

(5) Any person to whom a challan is issued under sub-rule (1) or (2), shall, within a period of forty five days from the date of such issuance, either accept and pay the amount specified in the challan or contest the challan on the portal along with documentary evidence in such manner and before such authority for redressal, as may be specified by the State Government.

(6) Where a person to whom a challan issued under sub-rule (1) or (2) does not contest the challan before the authority referred to in sub-rule (5), such challan shall be deemed to have been accepted by such person on the expiry of a period of forty five days from the date of issuance of such challan.

(7) The amount mentioned in the challan deemed to have been accepted under sub-rule (6) shall be paid, in physical or electronic form, within the next thirty days from the expiry of the period specified under sub-rule (6).

(8) Where a challan is contested under sub-rule (5) and is not resolved by the specified authority within a period of thirty days, or where such authority quashes the challan for reasons to be recorded in writing, such challan shall cease to have effect.

(9) Where the specified authority rejects, with reasons to be recorded in writing, the submissions made by the person against whom the challan has been issued, the person may either accept and pay the amount specified in the said challan within a period of thirty days from the uploading of such order on the portal, or may file an application before a court after depositing fifty per cent of the amount specified in the challan in the manner as may be specified by the State Government.

(10) If the person has neither paid the said challan nor contested the challan before a court within thirty days from the date of receipt of the order, the challan shall be deemed to have been accepted and the amount mentioned in the challan deemed to have been accepted shall be paid, in physical or electronic form, within the next fifteen days from the expiry of the period specified hereinabove in this sub-rule.

(11) A notice shall be sent through electronic means every day from the fifteenth day before the expiry of the period specified in sub-rule (7) and (10).

(12) If no action is taken by the person to whom the challan is issued under sub-rule (7) and (10), in such cases, till the disposal of such challans, applications with respect to the license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to tax(es) of motor vehicle, and such vehicle shall be flagged as 'Not to be Transacted' on the portal, which shall also automatically send an intimation to the registered owner or the licence holder, as the case may be, including through electronic means, till the payment of such challan, on the portal.

(13) Subject to orders of the court, in respect of challans issued under sub rule (1) or (2), a police officer in uniform authorised by the State Government in this behalf may detain the vehicle involved in the violation of any provision of this Act or rules made thereunder."

3. In the said rules, in rule 167A, —

(i) for sub-rule (7), sub-rule (8), sub-rule (9) and sub-rule (10), the following sub-rules shall be substituted, namely,—

"(6A) In cases where network connectivity is unavailable or where the device is unable to establish connection, the authorised officer may record the details of the challan in an offline report in such form and manner as may be specified by the State Government, and the said data shall be uploaded to the portal at the earliest possible opportunity.

(7) Challans, under sub-rules (1) and (2), shall be issued in the name of the registered owner of the vehicle, within a period of three days and must be accompanied with a notice of offence in electronic form viz SMS or e-mail or in physical form within a period of fifteen days.

(8)(a) The payment of the challan shall be made within the time period specified in the sub-rules (5) to (11) of rule 167.

(b) The payment of e-challan can be made electronically on an online portal specified by the State Government or using cash or card at Traffic Police Stations or at designated places or the e-payment gateway of the e-challan system as specified by States.

(9) The notice of offence shall be sent within a period of three days in electronic form and in physical form within a period of fifteen days of the occurrence of the offence and the electronic record collected by way of electronic monitoring should be stored till the disposal of challan and in the case where the electronic record relates to an offence, should be stored till the conclusion of proceedings initiated, including appeals.

(10) In case the owner of the vehicle was not driving the vehicle at the time of offence, he may claim innocence, including on the portal, before the specified authority under sub-rule (5) of Rule 167, by providing appropriate proof that he was not the driver at the time of the offence, or that another person was the driver at the time of the offence."

[F.No. RT-25035/66/2025-RS]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. _____ (E), dated the _____ and lastly amended *vide* G.S.R. _____ (E) dated the _____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.01 21:36:01 +05'30'